

# कार्यालय नगर परिषद सीतामऊ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

phone & fax no. 07426-222031, Email [cmositamahu@mpurban.gov.in](mailto:cmositamahu@mpurban.gov.in)

क्रमांक— 543 /निर्माण/2026

सीतामऊ ,दिनांक 14/ 05/2026

## //ई-निविदा आमंत्रण सूचना//

निम्नालिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

### कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऑनलाईन टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	कार्य की लागत जीएसटी छोड़कर	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि (वर्षाकाल सहीत)
01	2026_UAD_506070_1	वार्ड क्र.01 व 02 में पोस्ट ऑफिस रोड में महादेव मंदिर के पास शेड निर्माण कार्य। (विधायक निधि)	1,72,493/-	4,000/-	2,000/-	6 माह
02	2026_UAD_506072_1	वार्ड क्र.09 व्यास चौक में शेड निर्माण कार्य।(विधायक निधि)	1,72,493/-	4,000/-	2,000/-	6 माह
03	2026_UAD_506078_1	वार्ड क्र.03 मन्दसौर दरवाजे के पास शेड निर्माण कार्य।(सांसद निधि)	1,73,720/-	4,000/-	2,000/-	6 माह

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि **28-05-2026** सायंकाल 05:30 बजे तक एवं निविदा दर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **28-05-2026** सायंकाल 05:30 बजे तक। शर्त :-

- विस्तृत निविदा विज्ञप्ति टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये राज्य शासन की नवीन वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये नगर परिषद, सीतामऊ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है।
- निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, उसके लिये प्रथम से समाचार पत्र प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- अमानत राशि एफ.डी.आर के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है निकाय द्वारा अमानत राशि को लेकर किसी भी प्रकार की कोई छुट नही दी जावेगी।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद सीतामऊ के पास सुरक्षित रहेगा
- सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- निविदादाता संस्था के पास GST,PAN,PWD रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- निविदाकार को पिछले 03 वर्षों का आई.टी.आर लगाना अनिवार्य है।
- किसी भी शासकीय विभाग में किए गये कार्य का कार्य आदेश लगाना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभागों में ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण-पत्र 100 रु. के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य है।
- संबंधित कार्यों का भुगतान निकाय की आर्थिक स्थिति अनुसार किया जावेगा ओर अपरिहार्य कारणों से भुगतान विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/जुर्माना देय नहीं होगा।

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद, सीतामऊ